



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल
माननीय श्री. भगत सिंह कोश्यारी
का
अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

०१ मार्च २०२१

सम्माननीय सभापति, अध्यक्ष महोदय एवम् राज्य विधानमंडल के सदस्यगण,

वर्ष २०२१ में राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

२. आप सभी को ज्ञात है कि, गत एक वर्ष से हम कोविड महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस कोविड १९ बिमारी में जिन्होंने अपने निकटतम और प्रियजनों को खोया है उन सभी लोगों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं अभिभाषण की शुरूवात करता हूँ। इस घातक विषाणू का सामना करने के लिए हमें मदद की है उन साहसी तथा निस्वार्थ रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करनेवाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रसरता से काम करनेवाले कोरोना योद्धाओं को भी मैं सलाम करता हूँ।

३. कोविड परिस्थिति के कारण हम महाराष्ट्र राज्य की स्थापना का हिरक जयंती उत्सव नहीं मना सकें। मेरी सरकार का, उसे इस वर्ष मनाने का इरादा है।

४. मेरी सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और कई अन्य महान स्वप्नद्रष्टा एवं समाज सुधारकों के उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है।

५. मेरी सरकार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर उच्चतम न्यायालय में दाखिल मूल वाद में महाराष्ट्र की ओर से ठोस भूमिका रखती आयी है और आगे भी रखती रहेगी। मेरी सरकार, विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषिक लोगों के लिये प्रतिबद्धता रखती है और उन्हें न्याय दिलाने के लिये वचनबद्ध है। इस मुद्दे को व्यापक रूप से प्रस्तुत करनेवाले “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प” नामक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक की प्रतियाँ इस सत्र में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उपलब्ध की जायेगी।

६. मेरी सरकार ने, कोविड-१९ महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए कई उपाय हाथ में लिए हैं जो शेष राज्यों के लिये और अन्य देशों में भी आदर्श बन गए हैं। महाराष्ट्र ने, सक्रिय मरीजों की संख्या कम करके और धारावी जैसे भीड़-भाड़वाली बस्ती में सफलतापूर्वक कार्य करके इस महामारी का अत्यंत प्रभावी रूप से व्यवस्थापन किया है।

७. मेरी सरकार ने, कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को तकनीकी सहायता देने हेतु वरिष्ठ डॉक्टरों का राज्य कृति दल (टास्कफोर्स) स्थापित किया है। बीमारी संक्रमित व्यक्तियों के संपर्कों की प्रभावी और सख्ती से खोज तथा पता लगाने का कार्य हाथ में लिया गया था। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है। संक्रमित व्यक्तियों के परीक्षण के लिये पर्याप्त प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है। देश में प्रथमतः अस्थायी जंबो कोरोना उपचार अस्पतालों को रिकॉर्ड समय में खड़ा करनेवाला महाराष्ट्र प्रथम राज्य है। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए जिले में और नगरपालिका क्षेत्रों में बुखार क्लीनिकों की आवश्यक संख्या और त्रिस्तरीय अस्पताल संरचना स्थापित किये गये हैं। पर्याप्त दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

८. ‘ महात्मा फुले जीवनदायी योजना ’ यह सुनिश्चित करती है कि अस्पतालों उपचार की अनुचित लागत प्रभारित नहीं करेंगे। सरकारी अस्पतालों की क्षमता के अतिरिक्त किफायती दरों पर कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में पर्याप्त बेड आरक्षित किए गए हैं। निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च, प्रयोगशाला परीक्षणों का खर्च, सीटी स्कैन, मास्क आदि., के खर्च को लोकहित में सुरक्षा के लिए विनियमित किया गया है।

९. ‘ माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ’ यह देश में अभिनव स्वास्थ्य जाँच मुहिम राज्य में कार्यान्वित की गई है। उक्त मुहिम के अधीन राज्य में सभी परिवारों का, दो आवर्तनों में सर्वेक्षण किया गया। अति जोखिमवाले व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों का विशेष सर्वेक्षण भी किया गया है। इससे कोविड संक्रमण द्वारा प्रभावित कई मरीजों का पता चला। इस मुहिम से राज्य का स्वास्थ्य नक्शा तैयार करने में मदद मिली है। कोविड-१९ के प्रबंधन में नागरिकों की सहभागिता की सुनिश्चिति द्वारा हमारे राज्य ने, इस महामारी को सफलतापूर्वक नियंत्रण में लाया है। परन्तु, कोविड के विरुद्ध का सामना अभी भी शुरू है और अब “ मी जबाबदार ” यह मुहिम हमने हाथ शुरू की है।

१०. मेरी सरकार, कोविड-१९ बीमारी से संबंधित टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। मेरी सरकार, राज्य के लोगों के लिए टीके का कोटा बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रही है।

११. कोविड संबंधी स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के लिये हमें निरंतर सतर्कता रखनी होगी। कोविड का प्रादुर्भाव दोबारा बढ़ने की संभावना से शारीरिक दूरी बनाए रखने, चेहरे पर मास्क का उपयोग करने और नियमित रूप से हाथ धोने की नितांत जरूरत है।

१२. मेरी सरकार ने, चिकित्सा मुलभूतसुविधा मजबूत की है और अकादमिक वर्ष २०२०-२१ में, १०० छात्रों के प्रथम वर्ग के प्रवेश द्वारा नंदुरबार चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किया है।

१३. लोक स्वास्थ्य मुलभूतसुविधा में निवेशन करने की जरूरत को पहचानकर मेरी सरकार ने, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग और नासिक में नए चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिये अनुमोदित किया है और अधिक चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। सेंट जॉर्ज अस्पताल, मुंबई में नए १०० बेड आयसीयु की सुविधा भी इस वर्ष के दौरान दी गई है। महामारी के दौरान, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में अठारह नई आरटीपीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाओं को शुरू किया गया है और विद्यमानतः लगभग ५०० प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं।

१४. फरवरी, २०२१ के अंत में, माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति के रूप में मेरी सरकार को देय ४६,९५० करोड़ रुपयों में से केंद्र सरकार ने, केवल ६१४० करोड़ रुपए तथा माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति के लिए ऋण के रूप में ११,५२० करोड़ रुपये अदा किये हैं। माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति कुल २९,२९० करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से विलंबित है।

१५. कोविड तालाबंदी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई और इसके अलावा चिकित्सा आपातकाल और प्राकृतिक आपदा भी जुड़ गयी है। जनवरी २०२१ के अंत में ३,४७,४५६ करोड़ रुपए लक्षित राजस्व संग्रहण में से केवल १,८८,५४२ करोड़ रुपए संग्रहीत हो गए हैं। यह बजट प्राक्कलन में से ३५ प्रतिशत कम है तथा पूर्ववर्ती वर्ष में, उसी अवधि में संग्रहण के २१ प्रतिशत से कम है।

१६. राजस्व में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद, राज्य ने, महामारी के लिए लोकस्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और औषधि राहत तथा पुनर्वास, खाद्य और सिविल आपूर्ति और गृह विभागों को प्राथमिकता से निधि दी है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने, पूंजीगत परिव्यय के लिए बजट प्रावधान के ७५ प्रतिशत और स्थानीय विकास निधि, जिला नियोजन समिति और डोंगरी विकास कार्यक्रम के लिए १०० प्रतिशत रकम वितरित की है।

१७. मेरी सरकार, भारत सरकार से केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में मेरे राज्य को सहायता अनुदान बढ़ाने के लिए अनुगमन कर रही है।

१८. कोविड स्थिति और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, मेरी सरकार, केंद्रीय योजना में केंद्र सरकार के अंशदान को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का अनुगमन कर रही है।

१९. पिछला वर्ष केवल चिकित्सा आपातकाल ही नहीं था बल्कि में भी कई आर्थिक चुनौतियाँ भी निर्माण करनेवाला था, नोकरियाँ और आजिविका भी प्रभावित हुई थी, जिसके लिये सरकार ने, मानवतावादी दृष्टीकोण से व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिये है।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अधीन लगभग ७ करोड़ लोगों को केवल १ रुपये से ३ रुपये प्रति किलो दर से गेहूँ, चावल और खुरदरा अनाज का वितरण किया है। मेरी सरकार ने, १४ आत्महत्या-प्रवण जिलों के लगभग ४० लाख किसानों को, करीब ७५० करोड़ रुपये लागत के खाद्यान्न की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा, ३५ लाख फैसे हुए और प्रवासी मजदूरों, कर्मकारों और छात्रों को राशन कार्ड के बिना, लगभग १७,००० टन चावल और ७६२ टन चनादाल वितरित की है।

२०. मेरी सरकार ने, २६ जनवरी, २०२० को “ शिव भोजन योजना ” शुरू की है। इस योजना के अधीन पाँच रुपये प्रति थाली दर से ३.१५ करोड़ से अधिक थालियों की पूर्ति की गई है, जिसके लिए राज्य के राजकोष से १२५ करोड़ रुपये खर्च हुए है। मूल १८,००० से १,३८,००० तक बढ़ाई गई थालियों की प्रतिदिन खपत से इस योजना की सफलता आँकी जा सकेगी।

२१. किसानों को राहत दिलाने के लिए वर्ष २०१९-२० में किसानों से ३५०० करोड़ रुपए लागत का १.१५ लाख टन मका और १७.५० लाख टन धान खरीद लिया गया। मेरी सरकार ने, धान किसानों के खाते में प्रोत्साहन के रूप में ८६० करोड़ रुपए सीधे निक्षेपित किए हैं।

२२. मेरी सरकार ने, न्यूनतम सहायता कीमत परिचालन के अधीन २२२ लाख क्विंटल कपास खरीद से अब तक की अत्याधिक कपास खरीद की है और ८.७८ लाख किसानों को ११,९८८ करोड़ रुपयों का भुगतान किया है। उसीतरह, २०.४४ लाख क्विंटल तूर २.१६ लाख किसानों से खरीद की है जिसके लिए ११८५ करोड़ रुपयों की अदायगी की है तथा १८८७ करोड़ रुपए की लागत पर २.३७ लाख किसानों से ३८.७१ लाख क्विंटल चना खरीद लिया है।

समग्रतः, मेरी सरकार ने, राज्य में १३.३२ लाख किसानों को १५,००० करोड़ रुपए से अधिक अदायगी की है। ९.२५ लाख संरचना कर्मकारों को भी ४६२ करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता भी दी गई है।

२३. मेरी सरकार ने, कोरोना के प्रादुर्भाव के दौरान, यह सुनिश्चित किया है कि, ३ से ६ वर्ष आयु समुह के सभी बालक जो आँगनवाड़ी में नहीं आ सकते हैं उनके घर पर ही राशन दिया जायेगा। गर्भवती महिलाओं और स्तनदा माताओं को उनके घर पर राशन देने की निर्बाध आपूर्ति की है। इस वर्ष के दौरान ७८ लाख से अधिक एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

२४. मेरी सरकार ने, कोरोना तालाबंदी के दौरान, “विद्यालय बंद किंतु निरंतर शिक्षा” यह पाठ्यक्रम शुरू करके स्वअध्ययन के लिए छात्रों को सहायता करना शुरू की है।

इस चुनौतिपूर्ण स्थिति में भी, राज्य में सभी लाभभोगी छात्रों को उनके घर तक पाठ्यपुस्तकें पहुँचायी हैं।

दीक्षा ऐप की सहायता से विभिन्न उपक्रमों के कार्यान्वयन से देश में दीक्षा ऐप का उपयोग करने में महाराष्ट्र प्रथम क्रमांक पर है।

बदलते समय में, सभी अध्यापकों, छात्रों और विद्यालयों को गुगल कक्षा की सुविधा देनेवाला महाराष्ट्र प्रथम राज्य है।

२५. मेरी सरकार ने, तालाबंदी के दौरान प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्य में फँसे छात्रों को यातायात के लिए विशेष रेल और बसों का प्रबंध किया था। हमने ८१६ करोड़ रुपयों की लागत से अस्थायी निवास व्यवस्था, खाद्य, कपड़े और चिकित्सा उपचार एवं दवाईयाँ दी हैं।

२६. मेरी सरकार ने, न केवल चिकित्सा संकट का सामना किया बल्कि कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सफलता से मुकाबला किया है। निसर्ग चक्रवात ने तटीय कोंकण क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस चक्रवात द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को राहत के वृद्धि दर पर ६०९ करोड़ रुपए की राहत दी है। नागपुर में बाढग्रस्तों की राहत के लिए १७९ करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

२७. जून से अक्टूबर २०२० तक भारी वर्षा और बाढ के कारण जनजीवन, पशु, कृषि फसलों, आवासों और सार्वजनिक सम्पत्तियों की बड़े पैमाने पर हानि हुई है। इस आपदा के कारण हुई हानि के लिए १०,००० करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया गया है। फसल हानि के लिए किसानों को ५,५०० करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया । कृषि फसल हानि के लिए राहत दर पर १०,००० रुपए प्रति हेक्टर तथा बारहमासी फसल के लिए २५,००० प्रति हेक्टर राहत की दर बढ़ायी गयी है और राहत के रुप में ४५०० करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

२८. जाति प्रणाली से मुक्तता पाने की दृष्टि से, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गाँवों, बस्तियों और सड़कों के जो नाम जातियों पर आधारित है वह बदलकर महापुरुषों और संविधान के लोकशाही सिद्धांतों के अनुसार नाम रखे जायेंगे।

२९. मेरी सरकार ने, अमृत आहार योजना के अधीन १.३३ लाख जनजाती महिलाओं और ६.६३ लाख बालकों को खाद्य पदार्थ मुहैया किए हैं। हमने वन अधिकार अधिनियम, २००६ का सक्रियता से कार्यान्वयन किया है। अब तक १,७४,४८१ लाभभोगियों को १,६५,९९२ हेक्टर से अधिक व्यक्तिगत अधिकार वितरित किए गये हैं और ७५५९ समुदायों को ११,६७,८६१ हेक्टर से अधिक सामुदायिक वन अधिकार वितरित किए गए हैं।

३०. सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए, मेरी सरकार ने, एक प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इस वर्ष में उम्मीदवारों का वजीफा २,००० रुपयों से ४,००० रुपयों तक बढ़ाया गया है जो दुगुना है।

३१. नव उद्योग (स्टार्ट-अप्स) तथा उद्यमिता में महिलाओं का अनुपात बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य नवाचार संस्था में, “महिला उद्यमकर्ता कक्ष” स्थापित किया गया है।

३२. अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय और पट्टे पर देने के हस्तान्तरण—पत्र या करार की लिखत पर स्टाम्प शुल्क घटाए गए हैं। इस रियायत से, राज्य में रजिस्ट्रीकरण की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और शहरी स्थानीय निकायों में सरकार द्वारा उद्ग्रहीत अधिमूल्य के विभिन्न प्रकारों में ५० प्रतिशत की रियायत घोषित की है। मेरी सरकार ने, सभी योजना प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों को, उनके स्तर पर उद्ग्रहीत अधिमूल्य में ५० प्रतिशत रियायत देने संबंधी निर्णय लेने के भी निर्देश दिए गये हैं। इससे सम्पत्ति के विक्रय और खरीद को बढ़ावा मिल रहा है।

३३. औद्योगिक मंदी होने के बावजूद, महाराष्ट्र ने, अन्तर्राज्यीय और विदेश में से १ लाख करोड़ रुपयों से अधिक देशी और विदेशी सीधे निवेश को आकर्षित किया है। तालाबंदी के दौरान, विविध उद्योगों को शुरू करने के लिए ६६,००० ऑनलाईन अनुमतियाँ दी गई हैं। मेरी सरकार ने, रोजगार प्राप्ति सुगम बनाने के लिए महा रोजगार संकेतस्थल (महा जॉब पोर्टल) का भी प्रारम्भ किया है।

प्लग करें और खेलें तथा महापरवाना जैसी योजनाएँ औद्योगिक क्षेत्र को उद्दीपित करती हैं। इसमें नए स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर प्रतिसाद मिल रहा है।

३४. वित्तीय मुश्किलों के बावजूद, ३०.८५ लाख किसानों की १९,६८४ करोड़ रुपयों के ऋण रकम के भुगतान द्वारा मेरी सरकार ने, “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना” को पूरा किया है। इस कठिनाई भरे वर्ष में, ७,००० करोड़ रुपए की राशि इसके लिए दी गयी है।

३५. पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्णता को देखते हुए मेरी सरकार ने, पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर “ पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग ” किया है।

३६. मेरी सरकार ने, २ अक्टूबर, २०२० से पर्यावरणीय संरक्षण और बचाव के लिए अभिनव उपक्रमों के रूप में “ माझी वसुंधरा अभियान ” को हाथ में लिया को है। यह मिशन पृथ्वी, जल, वायु, ऊर्जा तथा आकाश अर्थात्, निर्सग के सभी पाँच घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है।

३७. कोविड-१९ स्थिति में, नए उद्योगों की स्थापना को सुकर करने के लिए मेरी सरकार ने, जल आर वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अधीन उद्योगों को सहमति जारी करने की समय सीमा घटायी है।

३८. मेरी सरकार ने, आरे क्षेत्र में ८०० एकड से अधिक भूमि जो मुंबई शहर मध्यवर्ती स्थान में है, वह आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की है। एक महानगर के केंद्र स्थान में ऐसा बृहत वन होना यह एक अनोखी पेशकश है।

३९. मेरी सरकार ने, १५०० हेक्टर मॅनग्रोव क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है और अंतिमतः ८५०० हेक्टर का मेनग्रोव क्षेत्र आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित घोषित किया गया है।

४०. वन्यजीव गलियारों को मजबूत करने और दिर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने, सह्याद्री पर्वतमाला में ८ तथा विदर्भ में २ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं।

४१. बाघ संरक्षण के लिए, मेरी सरकार ने, विदर्भ के चंद्रपुर जिले में स्थित कान्हारगाँव में २६९.४० वर्ग मीटर आरक्षित वन को राज्य के ५० वें वन्यजीवन अभयारण्य के रूप में घोषित किया है।

गणतंत्र दिवस २०२१ पर बालासाहेब ठाकरे गोरेवाडा अन्तर्राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान उद्यान, नागपुर का भारतीय वनयात्रा (सफारी) घटक लोगों को समर्पित किया गया है।

४२. आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने और इस क्षेत्र को नए कारोबार शुरू करने के लिए अनुज्ञप्ति की संख्या ७० से १० तक कम करने के निर्णयों से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को अधिक बढ़ावा मिलेगा।

४३. “ विकेल ते पिकेल ” मुहिम में, विद्यमान योजनाओं के संपरिवर्तन द्वारा फसल, समूह तथा जिलावार १३४५ मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि पण्यमालों को बाजार पहुँच मार्ग दिलाने के लिए और नवीन मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए २१०० करोड़ रुपयों की लागत की “ सम्मानीय बालासाहेब ठाकरे कृषि कारोबार और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना ” शुरू की है।

४४. किसानों को एक ही आवेदन पर, सभी कृषि योजनाओं के लाभ देने के लिए महा-डीबीटी पोर्टल विकसित किया गया है। ११.३३ लाख किसानों ने रजिस्ट्रीकरण किया है और २५.२३ लाख घटकों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

४५. काष्टी, तहसिल मालेगाँव, जिला नासिक में खाद्यान्न प्रोद्योगिकी तथा कृषि कारोबार प्रबंधन महाविद्यालय को मंजूरी दी गई है।

४६. “ मी समृद्ध तर गाव समृद्ध-आणि-गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ” इस संकल्पना का प्रभावी कार्यान्वयन होने के लिए मेरी सरकार ने, आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित किए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अधीन, वर्ष २०२०-२१ के दौरान, मेरी सरकार ने, मजदूरों को मजदूरी के रूप में १२६७ करोड़ रुपए अदा किए हैं।

४७. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र में पुराने मंदिरों का संवर्धन और परिरक्षण करने के लिए प्राचीन मंदिर संवर्धन योजना शुरू की है।

४८. प्रतिदिन १० लाख लिटर से अधिक दूध की प्राप्ति और उसे मलाईरहित दूध पावडर में परिवर्तित करने की योजना ३ अप्रैल, २०२० से ३१ अक्टूबर, २०२० तक हाथ में ली गई थी। इस योजना के अधीन दुग्ध उत्पादक किसानों को २४५ करोड़ रुपये प्राप्त हो गए हैं।

४९. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना के अधीन १६ जिलों के ८५ एकीकृत जनजाति विकास परियोजना में कुपोषित जनजाति बालकों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनदा माताओं को उच्च प्रोटीन दूध पावडर का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

५०. कृषि पंप जुड़ाई नीति अनुमोदित की गई है, जिसके अधीन भुगतान-विलंबित पंप आवेदकों को, जिनके पंप श्री फेज विद्युत लाईन से ६०० मीटर से कम दूरी पर है, उन्हें पारम्परिक विद्युत जुड़ाई दी जायेगी।

वह आवेदक, जिनके कृषि पंप विद्युत लाईन से ६०० मीटर से अधिक दूरी पर है उन्हें ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पंप दिये जायेंगे। अगले पाँच वर्ष के लिये प्रतिवर्ष एक लाख ऑफग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित किये जायेंगे। इससे कृषि पंपों को दिन में विद्युत उपलब्ध होगी।

५१. राज्य के किसानों को मदद करने के लिए मेरी सरकार ने, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसमें, किसानों को एक लाख ऑफ-ग्रिड सोलर पंप दिये जायेंगे। इस योजना से पर्यावरण को दीर्घतम लाभ होगा।

५२. मेरी सरकार ने, नवीकृत ऊर्जा नीति, २०२० घोषित की है जिसके द्वारा पाँच वर्ष में १७,३६० मेगा वाट नवीकृत ऊर्जा निर्माण होगी।

५३. मेरी सरकार ने, अंबड, तहसिल अंबड, जिला जालना में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सिविल न्यायालय (वरिष्ठ प्रभाग) तथा ठाणे में अतिरिक्त परिवार न्यायालय की स्थापना की है।

५४. मेरी सरकार ने, चौदहवें वित्त आयोग के अधीन, पाँच वर्ष की अवधि के लिए यवतमाल, बीड, भंडारा और परभणी में परिवार न्यायालय के कार्य को भी मंजूरी दी है।

५५. मैं आश्वस्त हूँ कि आप सभी अपने स्वास्थ्य साथ ही अन्य लोगों के स्वास्थ्य की एहतियाति सुरक्षा लेंगे और कोविड महामारी से बचने के सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय अपनाते होंगे।

सम्माननीय सदस्यों, इस सत्र में, नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव, विनियोग विधेयकों और अन्य विधि विधान आपके विचारार्थ रखे जायेंगे। मुझे यह विश्वास है कि, सम्माननीय सदस्य सम्मिलित होंगे और इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार-विमर्शों को प्रदर्शित करेंगे।

मैं दुबारा एक बार, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!